रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 540] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 20, 1977/अग्रहायण 29, 1899

No. 540] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 20, 1977/AGRAHAYANA 29, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December 1977

S O. 847(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 1977 (27 of 1977), the Central Government hereby appoints the first day of January, 1978, as the date on which the provisions of section 10 of the said Act shall come into force

[No F. TGM(20)/77]

B B. MAHAJAN, Jt. Secy

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1977

का० आ० 847 (अ) —मोटर गाड़ी (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का 27) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा जनवरी, 1978 के पहले दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबन्ध लागू होंगे ।

[सं० फा० टीजीएम (20)/77]

बी० बी० महाजन, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय मिन्टो रोड नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1977